


रीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज



उक्त प्रार्थना पत्र २५। (क) र.न. अर्ध पत्र
 नहीं बनना पाया जाता है।
 बात मादेशा दिया जाता है कि
 प्रा. पत्र २५। (क) का नहीं लेने से
 स्वीकृत किया जाता है पत्रावली फसल
 शुमार लेकर नम्बर से काम की जावे
 निर्णय आज दिनांक २२-३-२०२१ को सरे-
 इजलास सुनाया गया।


 उप लण्ड अधिकारी
 मांगरोल जिला बार्न (राज०)